राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 58/2022 किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान राज.भू. राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 भदूण बनाम नाथू पुत्र भैरू जाति गुर्जर
निवासी काठोदा

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 05.01.2023

पत्रावली पेश हुयी। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि अप्रार्थी ने ग्राम के आराजी खसरा नंबर 276 किस्म गै0मु0श्मशान रकबा कुल रकबा 1.0678 हैक्टयर में से 0.4854 है0 भूमि पर बाड बनाकर चारा डालकर कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी को उपस्थित होने हेतू उचित समय दिया जाने पर भी अनुपस्थित रहा, प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मामला निर्णित किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी ने ग्राम काठोदा पटवार हल्का भदूण के आराजी खसरा नंबर 276 किस्म गै0मु0 श्मशान में 0.4854 हैक्टयर भूमि से बेदखल किया जाता है तथा लगान 13 रूपये का 50 गुणा 650/–रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार
रुपनगढ(अजमेर)

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं. 4 की पृष्ठ संख्या 33 पर रु. 650/- की मांग कायमी की गई। 12/1/23
तहसील राजस्व लेखाकार